bpni
putting child nutrition
at the forefront
of social change

स्तनपान की सुरक्षा, बढ़ावा एवं सहायता के लिए कानून

शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम, 1992 एवं संशोधन अधिनियम, 2003 (आईएमएस एक्ट)

बाजार में बिकने वाले शिशु आहार एवम् बोतलों के प्रयोग को बढ़ावा देने पर पाबन्दी

© ब्रेस्टफीडिंग प्रोमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया (बी॰पी॰एन॰आई॰), 2015

लेखकगण: मीनाक्षी झा, अजय कुमार, जे॰पी॰ दाधीच, नीलिमा ठाकुर

प्रथम संस्करण: 2015

ISBN: 978-81-88950-45-4

All rights are reserved by Breastfeeding Promotion Network of India. The book may, however, be freely reviewed, abstracted, reproduced or translated, in part or whole, provided the source is acknowledged and provided that the final production is not for sale or commercial purposes.

बीपीएनआई एक पंजीकृत, स्वतंत्र, गैर–मुनाफा आधारित राष्ट्रीय संगठन है। यह स्तनपान के संरक्षण, उसको बढ़ावा और समर्थन देने तथा शिशुओं एवं बच्चों के समुचित पूरक भरण–पोषण की दिशा में कार्य करता है। बीपीएनआई पैरवी, सामाजिक एकजुटता, सूचना को साझा करने, शिक्षा, शोध, प्रशिक्षण और कंपनियों द्वारा आईएमएस एक्ट की अनुपालना के पर्यवेक्षण के जरिए कार्य करता है। बीपीएनआई वर्ल्ड एलायंस फोर ब्रेस्टफीडिंग एक्शन (डब्ल्यूएबीए) का दक्षिण एशिया का मुख्य क्षेत्रीय केंद्र और इंटरनेशनल बैबी फूड एक्शन नेटवर्क (आईबीएफएन) एशिया का क्षेत्रीय समन्वयन कार्यालय है।

एक नीति के रूप में बीपीएनआई उन कंपनियों से किसी प्रकार का धन स्वीकार नहीं करता, जो शिशु दुग्ध विकल्प, भरण बोतलें, संबंधित उपकरण या शिशु खाद्य बनाती हैं या न ही उनसे, जो कभी भी आईएमएस एक्ट या स्तन दूध के विकल्प के विपणन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाई गई हैं या न ही उन संगठनों से, जिनमें हित–संघर्ष है।

स्तनपान की सुरक्षा, बढ़ावा एवं सहायता के लिए कानून

शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम, 1992 एवं संशोधन अधिनियम, 2003 (आईएमएस एक्ट)

बाजार में बिकने वाले शिशु आहार एवम् बोतलों के प्रयोग को बढ़ावा देने पर पाबन्दी

bpni

putting child nutrition
at the forefront
of social change

ब्रेस्टफीडिंग प्रोमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया (बी॰पी॰एन॰आई॰)

बी॰पी॰–33, पीतमपुरा, दिल्ली–110034, भारत
फोनः 91–11–27343608, 42683059
फैक्सः 91–11–27343606
ईमेलः bpni@bpni.org
www.bpni.org

प्रस्तावना

शिशु स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी सुगम तरीके से माता–पिता को नहीं मिल पाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा निर्धारित शिशु पोषण निर्देशों की जानकारी भी सामुदायिक स्तर पर उपलब्ध नहीं होती है। 1981 ई0 में ही शिशुओं में प्रयोग होने वाले कृत्रिम दूध के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए, विश्व समुदाय द्वारा अंतरराष्ट्रीय संहिता तैयार की गई। इसके निर्देशों को भारत में लागू करने के लिए 1983 ई0 में भारतीय राष्ट्रीय संहिता बनाई गई। जिसके प्रावधानों को प्रभावशाली रूप से लागू करने हेतु भारतीय संसद ने 1992 में शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम पारित किया।

शिशुओं को राष्ट्रीय संपदा माना गया है। इस विशेष अधिनियम का उद्देश्य शिशुओं के स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा करना है। इस पुस्तिका में अधिनियम से संबंधित प्रावधानों को सरल रूप में वर्णित किया गया है। जिससे स्वास्थ्यकर्मियों और सामान्य नागरिकों को कानून की बारीकियों को समझने में मदद मिलेगी। यह पुस्तिका शिशु स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उपयोगी साबित होगी। भारत के सूदुर इलाके में इस पुस्तिका के माध्यम से शिशु पोषण और अधिनियम के बारे में जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई है।

पुस्तिका में अधिनियम के प्रावधानों की समुचित व्याख्या की गई है। फिर भी उनका उद्धरण देने या उनके कार्यान्वयन के लिए मूल अधिनियम अवश्य देखें।

लेखकगण

संदेश

स्तनपान शिशु के जीवन को एक बेहतरीन शुरूआत प्रदान करता है। स्तनपान शिशुओं के लिये आदर्श पोषण है और उन्हें संक्रमण एवम् अन्य कई बिमारियों से बचाता है। जन्म के तुरंत बाद स्तनपान की शुरूआत, छः माह की उम्र तक केवल स्तनपान एवम् छः माह की उम्र के पश्चात् स्तनपान के साथ ऊपरी आहार शिशु के अधिकतम शारीरिक व मानसिक विकास एवम् वृद्धि के लिये अत्यावश्यक है।

शिशु आहार कम्पनियों द्वारा अपने उत्पादों के आक्रामक विपणन एवम् प्रोत्साहन से शिशुओं में स्तनपान एवम् घर पर बने पूरक आहार का प्रयोग कम हो सकता है।

अनुचित पोषाहार जैसे डिब्बा बंद ऊपरी दूध का उपयोग शिशुओं में बीमारी, कुपोषण एवम् मृत्यु का कारण बन सकता है।

शिशुओं को इससे बचाने के लिये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने सन् 1981 में एक अंतरराष्ट्रीय संहिता (International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes) बनाई। इस संहिता के आधार पर महिला एवम् बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने एक कानून शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम (आईएमएस एक्ट) सन् 1992 में बनाया एवम् भारत की संसद ने इसे पारित किया। सन् 2003 में इस कानून में संशोधन किया गया। इस कानून ने हमारे देश में शिशु आहारों के आक्रामक प्रोत्साहन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परन्तु अभी भी शिशु आहार निर्माता कम्पनियाँ इसके प्रावधानों का पालन करने में कई बार नाकाम रहती हैं।

समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषकर स्वास्थ्य एवम् पोषण कर्मियों को इस कानून के बारे में सरल शब्दों में जानकारी प्रदान करना अत्यावश्यक है।

इसलिये ब्रेस्टफीडिंग प्रोमोशन नेटवर्क ऑफ इण्डिया (BPNI) ने इस विषय पर सरल भाषा में यह पुस्तिका तैयार की है।

मैं आशा करता हूँ कि यह पुस्तिका देश की अन्य भाषा में भी अनुवादित की जा सकेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें।

डा॰ अरूण गुप्ता
रैंट्रल काओर्डिनेटर, बी॰पी॰एन॰आई॰

विषय-सूची

प्रस्तावना

पृष्ठ भूमि 1

स्तनपान के लाभ 2

अधिनियम (आईएमएस एक्ट) के मुख्य उद्देश्य 4

अधिनियम के अन्तर्गत मुख्य शब्दों की परिभाषा 5

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान 7

धारा 3: शिशु दुग्ध अनुकल्प, दूध पिलाने की बोतल और शिशु खाद्य के विज्ञापन पर प्रतिबंध 7

धारा 4: शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल/दूध पिलाने की बोतल और शिशु खाद्य के उपयोग या बिक्री के लिए प्रलोभन देने पर प्रतिबंध 8

धारा 5: स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के माध्यम से शिशु दुग्ध अनुकल्प, शिशु खाद्य, दूध पिलाने की बोतल, उनसे संबंधित उपकरणों और सामग्रियों के दान या वितरण के लिए प्रतिबंध 9

धारा 6: लेबलिंग के लिए दिशानिर्देश निर्धारित 10

धारा 7: शिशुओं के पोषण से संबंधित शैक्षणिक और अन्य सामग्रियों पर निर्धारित जरूरी तथ्यों का समावेश 12

धारा 8: स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के दुरूपयोग पर प्रतिबंध 14

धारा 9: स्वास्थ्यकर्मी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रलोभन देने पर प्रतिबंध 15

धारा 10: बिक्री के आधार पर कमीशन देने पर पाबन्दी 16

धारा 11 से 26 में उत्पादों के मानक एवम् अधिनियम का उल्लंघन करने पर सजा के प्रावधानों आदि की जानकारी 17

उपसंहार 18

पृष्ठ भूमि

पर्याप्त पोषण हर बच्चे का अधिकार है। स्तनपान द्वारा शिशु को जीवन की सर्वोत्तम शुरूआत मिलती है। इससे शिशु को उचित पोषण मिलता है। यह शिशु को संक्रामक बिमारियों से बचाता है और शिशु के आवश्यक विकास में सहायता देता है ताकि वह जीवन की अच्छी शुरूआत कर सके।

विश्व स्वास्थ संगठन (WHO) एवं यूनीसेफ (UNICEF) यह सलाह देते है कि सभी शिशुओं को पहले छह महीने तक केवल स्तनपान ही कराना चाहिये। छह महीने बाद उचित व पर्याप्त मात्रा में घर पर बना हुआ आहार दें और साथ–साथ दो या दो से अधिक वर्ष तक स्तनपान कराएं। (केवल स्तनपान का अर्थ है कि शिशु को केवल माँ का दूध दिया जाए और कोई अन्य आहार व तरल पदार्थ यहाँ तक की पानी भी नहीं दिया जाए)

ऐसा देखा गया है कि शिशु दुग्ध अनुकल्प एवम् इसी तरह के अन्य उत्पादों के निर्माता एवम् वितरक आदि द्वारा इनके बढ़ावे के लिये किये गये प्रयास, सरकार द्वारा स्तनपान के फायदों के बारे में जानकारी देने के प्रयासों से कहीं ज्यादा है। यह स्तनपान दर की गिरावट का एक मुख्य कारण है। अगर स्तनपान की सुरक्षा, बढ़ावा एवम् प्रोत्साहन के प्रयास प्रर्याप्त ना हों, तो स्तनपान की दर में यह गिरावट और भी ज्यादा हो जाती है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विश्व स्वास्थय संगठन (WHO) ने सन् 1981 में शिशु दुग्ध अनुकल्प उत्पादों की खरीद–फरोक्त को नियंत्रित करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय कोड तैयार किया जो कि विश्व स्तर पर सर्वमान्य है। सन् 1992 में भारत विश्व का दसवाँ राष्ट्र था जिसने इस विषय में एक राष्ट्रीय कानून **"शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम, 1992" (आईएमएस एक्ट)** लागू किया। इस कानून को संसद में पेश करते समय तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह ने जो वक्तव्य दिया था वह आज भी उतना ही सार्थक है।

> "..... अनुचित भोजन प्रथाएँ शिशु कुपोषण, रुग्णता और हमारे बच्चों में मृत्यु दर को जन्म देती हैं। शिशु दूध के विकल्प और बोतलों और निप्पल जैसे उत्पादों के प्रचार से स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न होता है। शिशु दूध के विकल्प और संबंधित उत्पादों का प्रचार मां के दूध और स्तनपान के फायदे के विषय में जानकारी के प्रसार की तुलना में अधिक व्यापक है और यह स्तनपान में गिरावट में योगदान करता है। स्तनपान की सुरक्षा को बढ़ावा देने और स्तनपान का समर्थन करने हेतु मजबूत उपायों के अभाव में यह गिरावट लाखों शिशुओं के लिये संक्रमण, कुपोषण एवम् मृत्यु का खतरा पैदा कर सकती है....."
>
> **(श्री अर्जुन सिंह, तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री, भारत सरकार के संसद में भाषण का अनुवादित अंश)**

इस कानून का उद्देश्य शिशु आहार बेचने के तरीके पर नियंत्रण रखकर स्तनपान को सुरक्षा, बढ़ावा व सहारा देना है।

स्तनपान के लाभ

स्तनपान कराना माँ के लिये, बच्चे के लिये व सारे समाज के लिये लाभदायक है। इसलिए शिशु को प्रथम छह माह तक सिर्फ स्तनपान कराऐं व इसे दो वर्ष या उससे अधिक समय तक जारी रखें।

माँ दूध विशेष रूप से उसके शिशु के लिए बना है। यह शिशु के विकास के लिये उपयुक्त पोषण देता है। यह पचने में आसान है व इसमें पाये जाने वाले तत्त्व सभी संक्रामक रोगों से बचातें हैं, विशेष रूप में दस्त से। माँ इसे बीमारी में, गर्भावस्था में या माहवारी में भी पिला सकती हैं।

शिशु जन्म से पहले माँ के गर्भ में सभी संक्रामक रोगों से सुरक्षित रहता है। जन्म के बाद माँ का दूध उसे यही सुरक्षा प्रदान करता है। शिशु जन्म के बाद पहले कुछ दिनों तक आने वाला दूध जिसे "कोलोस्ट्रम" कहते हैं, शिशु को अवश्य पिलाऐं क्योंकि यह शिशु को कई संक्रामक रोगों व बीमारियों से बचाता है।

शिशु को स्तनपान से होने वाले लाभः

स्तनपान कराने से शिशु को निम्नलिखित लाभ मिलते हैः–

- माँ के दूध में पर्याप्त मात्रा में शक्ति होती हैं व उत्तम प्रोटीन, वसा, लैक्टोज, विटामिन, लोहा, मिनरल, पानी व एन्जाइम होते हैं, जो आपके शिशु की जरूरत के अनुसार हैं।
- माँ के दूध में गाय के दूध से अधिक मात्रा में लौह और विटामिन डी, ए एवम् सी हैं।
- माँ का दूध स्वच्छ होता है व सभी दूषित जीवाणुओं से मुक्त होता है।
- माँ के दूध में सभी संक्रामक रोगों से लड़ने की शक्ति है। इसलिए यह शिशु को दस्त व सांस की बीमारियों से बचाता है।
- माँ का दूध हर पल तैयार मिलता है व इसे देने के लिए किसी प्रकार की तैयारी करने की जरूरत नहीं होती है। यह सही तापमान पर उलपब्ध होता है।
- माँ का दूध किफायती है व इसमें किसी प्रकार के दूषित तत्त्व नही होते।
- माँ का दूध सिर्फ एक खाद्यपदार्थ नहीं है। यह शिशु एवम् माँ में प्यार बढ़ाता है, जिससे उनका रिश्ता मजबूत होता है।
- माँ के दूध से शिशुओं के बड़े होने पर डाइबिटीज, दिल की बिमारियां, एक्जिमा, अस्थमा एवं अन्य एलर्जी रोग होने की संभावना भी कम होती है।

- स्तनपान कराए जाने वाले शिशुओं की बुद्धि का विकास उन शिशुओं से तेज होता है जिन्हें स्तनपान नहीं कराया जाता।

माँ को होने वाले लाभ

स्तनपान से मां को निम्नलिखित लाभ होते हैं:—

- यह शिशु के पैदा होने के बाद होने वाले रक्त के बहाव को रोकता है तथा मां में खून की कमी होने के खतरे को कम करता है।
- स्तनपान कराने वाली माताएं कम मोटी होती है क्योकि यह वजन कम करने में भी सहायक होता है।
- यह शिशुओ के जन्म में अन्तर रखने में भी सहायक होता है।
- यह स्तन और अण्डाशय के कैंसर के खतरे को कम करता है।
- छः माह तक केवल स्तनपान कराते रहने से माँ और शिशु में प्यार बढ़ता है।
- यह माँ को हड्डियों की कमज़ोरी से बचाता है।

समुदाय को होने वाले लाभ

- स्तनपान कराने से शिशु कम बीमार पड़ते हैं व उनकी मृत्यु होने की सम्भावना भी कम होती है। इसलिए शिशु की देखभाल में परिवार का कम खर्च होता है।
- कम बीमार होने के कारण मां बाप कम से कम छुट्टियां लेते हैं। इस तरह यह नियोजक के लिये भी लाभदायक होता है।

अधिनियम (आईएमएस एक्ट) के मुख्य उद्देश्य

- किसी भी प्रकार के शिशु दुग्ध अनुकल्प, दूध पिलाने की बोतल या शिशु खाद्य के प्रचार को रोकना एवं स्तनपान को व्यवसायिक प्रभाव से बचाना।
- गर्भवती महिलाओं एवं दूध पिलाने वाली माताओं को स्तनपान के बारे में जागरूक करना एवं स्तनपान के फायदे के बारे में जानकारी देना।
- केवल स्वास्थ्यकर्मी की सलाह पर शिशु दुग्ध विकल्प, दूध पिलाने की बोतल या शिशु खाद्य पदार्थ का उपयोग करना।

अधिनियम के अंतर्गत मुख्य शब्दों की परिभाषा

विज्ञापन (Advertisement): इस कानून के अनुसार कोई भी लिखित या मुद्रित सूचना, संदेश, किसी वस्तु पर चिपका हुआ लेबल, वस्तुओं के उपर लपेटा गया लेबल/प्लास्टिक, लिखित कागजात, स्पष्ट नजर आनेवाला चित्रण या प्रदर्शन और प्रकाश, ध्वनि, धुआं, गैस, विद्युत, श्रवण या दर्शनीय माध्यम से की गई घोषणा, विज्ञापन की परिभाषा के अंतर्गत आते है।

डिब्बा (Container): बक्सा, बोतल, पेटी, धातु का बना डिब्बा, बंद डिब्बा, लकड़ी का गोल पीपा, सामान भेजनेवाला बक्सा, छोटा बक्सा, ढक्कनदार पात्र, बोरा और लपेटने वाली वस्तु जिसमें शिशु दुग्ध अनुकल्प, शिशु खाद्य और दूध पिलाने की बोतल को बिक्री या वितरण के लिए रखा गया हो, डिब्बा माने जाते हैं।

दूध पिलाने की बोतल (Feeding Bottle): इसके अंतर्गत शिशु को दूध पिलाने के लिए उपयोग में लाये जाने वाली बोतल, खास बनावट वाले डिब्बे और बरतन को रखा गया है। रबड़ के निप्पल और अन्य प्रवाह नियंत्रक उपकरण, जिसे बोतल या तरल पदार्थ से भरे डिब्बे में लगाया जा सकता है, भी दूध पिलाने की बोतल का हिस्सा माने जाते है।

स्वास्थ्य सेवा प्रणाली (Health Care System): माताओं, शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य सेवा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े संस्थान और संगठन इसके दायरे में आते है। निजी पेशा करने वाले स्वास्थ्यकर्मी, औषधालय, दवा की दुकान और स्वास्थ्य कर्मियों के संगठन को भी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के अंतर्गत रखा गया है।

स्वास्थ्य सेवाकर्मी (Health Worker): माताओं, शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाकर्मी कहे जाते है।

शिशु खाद्य (Infant Food): छः महीने के बाद से दो वर्ष तक की उम्र के शिशुओं की बढ़ती पोषण आवश्यकताओं को पूरा करनेवाला कोई भी आहार, जिसकी बिक्री की जाती हो या जिसे माताओं के दूध का पूरक बताया जाता हो, शिशु खाद्य में शामिल है।

शिशु दुग्ध अनुकल्प (Infant Milk Substitutes): दो वर्ष तक के शिशुओं के लिए माँ के दूध के आंशिक और पूर्ण विकल्प के रूप में बेचा जानेवाला या प्रचारित आहार शिशु दुग्ध अनुकल्प की परिभाषा में आता है।

लेबल (Label): किसी डिब्बे पर प्रदर्शित लिखावट, छपाई, मोहर, चिन्ह या चिपकाया हुआ चित्रण लेबल के रूप में जाने जाते है।

प्रचार–प्रसार (Promotion): प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से किसी भी व्यक्ति को शिशु दुग्ध अनुकल्प, शिशु खाद्य या दूध पिलाने की बोतल खरीदने या इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रचार–प्रसार माना जाता है।

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

धारा 3: शिशु दुग्ध अनुकल्प, दूध पिलाने की बोतल और शिशु खाद्य के विज्ञापन पर प्रतिबंध

अधिनियम की धारा 3 के अनुसार

कोई भी व्यक्ति शिशु दुग्ध अनुकल्प (Infant Milk Substitutes), दूध पिलाने की बोतल (Feeding bottles) या शिशु आहार (Infant foods) के वितरण, बिक्री या आपूर्ति के लिए किसी भी प्रकार का विज्ञापन अखबार, पत्रिका, रेडियो, टेलीविज़न अथवा अन्य किसी भी माध्यम से नहीं कर सकता है और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से प्रचार–प्रसार (Promotion) में भाग ले सकता है।

- ⇨ *शिशु दुग्ध अनुकल्प, दूध पिलाने की बोतल और शिशु खाद्य के विज्ञापन पर प्रतिबंध।*
- ⇨ *शिशु दुग्ध अनुकल्प और शिशु खाद्य की गुणवत्ता के बारे में भ्रांतिपूर्ण जानकारी पर रोकथाम।*
- ⇨ *शिशु दुग्ध अनुकल्प, शिशु खाद्य और दूध पिलाने की बोतल के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रचार–प्रसार पर पूर्ण प्रतिबंध।*

धारा 4: शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल/दूध पिलाने की बोतल और शिशु खाद्य के उपयोग या बिक्री के लिए प्रलोभन देने पर प्रतिबंध

अधिनियम की धारा 4 के अनुसार

कोई भी व्यक्ति शिशु दुग्ध अनुकल्प, दूध पिलाने की बोतल और शिशु खाद्य के इस्तेमाल या बिक्री के प्रचार–प्रसार के उद्देश्य से उनके नमूनों, या बरतनों या अन्य वस्तुओं का उपहार वितरित नही कर सकता है। इन उत्पादों के इस्तेमाल एवं बिक्री के प्रचार–प्रसार हेतु कोई भी व्यक्ति किसी गर्भवती महिला या किसी शिशु की माता से संपर्क स्थापित नहीं कर सकता है। इसके अलावा इन सामानों के व्यवसायिक प्रचार हेतु किसी अन्य प्रकार का प्रलोभन भी किसी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है।

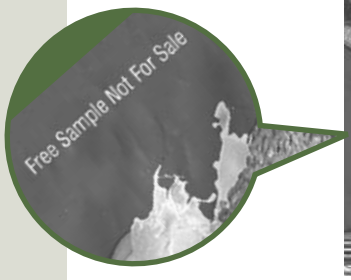

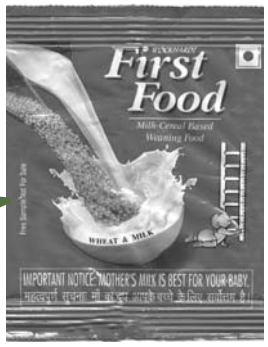

- ⇨ *उत्पादों की बिक्री के लिए नमूनों या अन्य उपहारों के वितरण पर प्रतिबंध।*
- ⇨ *शिशु की माता या गर्भवती महिला को उत्पादक द्वारा प्रभावित करने पर प्रतिबंध।*
- ⇨ *प्रचार के लिए प्रलोभन देने पर प्रतिबंध।*

धारा 5: स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के माध्यम से शिशु दुग्ध अनुकल्प, शिशु खाद्य, दूध पिलाने की बोतल, उनसे संबंधित उपकरणों और सामग्रियों के दान या वितरण के लिए प्रतिबंध

अधिनियम की धारा 5 के अनुसार

कोई भी व्यक्ति किसी अनाथालय (orphanage) के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को शिशु दुग्ध अनुकल्प या दूध पिलाने की बोतल या शिशु खाद्य का दान या वितरण स्वयं नहीं कर सकता है। इसके अलावा इससे सम्बन्धित जानकारी देनेवाला या शिक्षा देनेवाला उपकरण या सामान का दान या वितरण भी व्यक्ति स्वयं नही कर सकता है। लेकिन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली (Health care system) के द्वारा इस तरह के उपकरण और सामान का दान या वितरण, निर्धारित नियम और नियंत्रण के अंतर्गत किया जा सकता है।

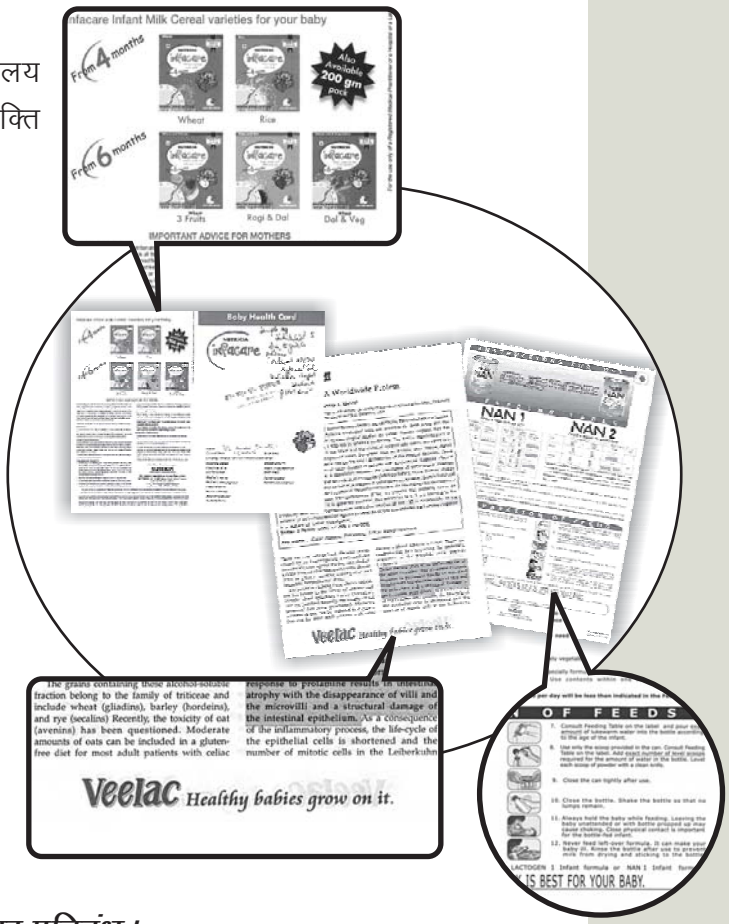

- ⇨ *उत्पादों के दान और वितरण पर प्रतिबंध।*
- ⇨ *शिशु पोषण से संबंधित उपकरण या जानकारी देनेवाले सामानों का नियंत्रित दान और वितरण।*

धारा 6: लेबलिंग के लिए निर्धारित दिशानिर्देश

अधिनियम की धारा 6 के अनुसार

शिशु दुग्ध अनुकल्प और शिशु खाद्य के डिब्बे और लेबल पर मुद्रित की जाने वाली जानकारी

शिशु दुग्ध अनुकल्प या शिशु खाद्य, उत्पादन, आपूर्ति या वितरण करनेवाले व्यक्तियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे इन उत्पादों के प्रत्येक डिब्बे या उस पर चिपकाये गये लेबल के ऊपर स्पष्ट बड़े अक्षरों में "महत्वपूर्ण निर्देश" (IMPORTANT NOTICE) शब्दों को लिखेंगे। इसके साथ ही डिब्बे या उसके लेबल के उपर निर्धारित विवरण का उल्लेख करना अनिवार्य बनाया गया है।

- इसके अनुसार बड़े अक्षरों मे यह लिखा जाना चाहिए कि **''माँ का दूध बच्चे के लिये सर्वोत्तम है''** (MOTHER'S MILK IS BEST FOR YOUR BABY)
- यह तथ्य भी लिखना जरुरी है कि "शिशु दुग्ध अनुकल्प या शिशु खाद्य सिर्फ स्वास्थ्यकर्मी (Health Worker) की सलाह पर ही इस्तेमाल करना चाहिए।
- यह चेतावनी भी छपी होनी चाहिए कि शिशु दुग्ध विकल्प या शिशु खाद्य, शिशु के पोषण का एकमात्र श्रोत नहीं है।
- इसे उपयुक्त रूप से बनाने के लिए निर्देश (instructions) और अनुपयुक्त तरीके से बनाने पर स्वास्थ्य को होनेवाले खतरे की चेतावनी भी लिखना जरूरी है।
- इसे बनाने में इस्तेमाल किये गए सामानों का ब्यौरा (ingredients) और तत्वों का सम्मिश्रण (composition) या विश्लेषण (analysis) एवम् रखे जाने के लिए आवश्यक वातावरण भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित होना चाहिए।

- उत्पादन समूह संख्या (batch number), उत्पादन की तारीख (date of manufacture), भंडारण निर्देश, उपभोग करने की अंतिम तिथि और अन्य निर्धारित ब्यौरे को छापना अनिवार्य बनाया गया हैं।
- इनके अलावा डिब्बे या लेबल पर यह भी उल्लेखित होना चाहिए कि शिशु दूध अनुकल्प या शिशु खाद्य को साफ–सुथरे और समुचित तरीके से तैयार किया जाना आवश्यक है।
- साथ ही दूध पिलाने की बोतल और बरतनों को भी अच्छे तरीके से साफ किया जाना चाहिए। अनुपयुक्त तरीके से तैयार किये गए शिशु दूध अनुकल्प या शिशु खाद्य से होनेवाले खतरे के बारे में भी निर्धारित चेतावनी लिखी जानी चाहिए।
- शिशु पोषण उत्पादों के डिब्बों पर माँ के दूध की गुणवत्ता/ खासियत और उत्पादों के इस्तेमाल का उचित तरीका लिखना अनिवार्य है।

डिब्बे या लेबल पर चित्रों एवं निर्धारित शब्दों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध

इसके अलावा शिशु दुग्ध अनुकल्प या शिशु खाद्य से संबंधित किसी भी डिब्बे या लेबल पर शिशु या महिला या दोनों की तस्वीर, कार्टून या कोई अन्य चित्र मुद्रित नहीं की जायेगी। शिशु दुग्ध विकल्प या शिशु आहार की बिक्री को बढ़ाने के लिए तैयार की गई कोई भी तस्वीर या चित्र या लुभावने अर्थ वाले शब्दों को नहीं छापा जाऐगा। **"मानवीय गुणों से भरपूर"** या **"मातृत्व गुण वाला"** या इसी तरह के अन्य शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता है।

⇨ ***उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने के लिए डिब्बे या लेबल पर तस्वीर और लुभावने शब्दों को छापने पर प्रतिबंध।***

धारा 7: शिशुओं के पोषण से संबंधित शैक्षणिक और अन्य सामग्रियों पर निर्धारित जरूरी तथ्यों का समावेश

अधिनियम की धारा 7 के अनुसार

शिक्षण सामग्री (educational material) या विज्ञापन जैसे पुस्तक, फ्लैश कार्ड, फिल्म, स्लाइडस, पत्रिका, अख़बार इत्यादि द्वारा गर्भवती या दूध पिलाने वाली महिला को गलत या अधूरी सूचना देने पर पाबन्दी।

गर्भवती महिलाओं या शिशुओं की माताओं को गर्भावस्था या शिशु जन्म के बाद दी जानेवाली शैक्षणिक (educational) या अन्य सामग्री (other material) में इस धारा के अंतर्गत दी गई निर्धारित जानकारी को शामिल करना अनिवार्य है। माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य या शिशु पोषण से संबंधित सभी शैक्षणिक सामग्री (educational material), कार्ड, उपयोग की अन्य वस्तु और उपकरण इसके दायरे में आते हैं। शिशु दुग्ध अनुकल्प, शिशु खाद्य और दूध पिलाने की बोतल के विज्ञापन (advertisement) या प्रचार–प्रसार से संबंधित सामग्री भी इसमे शामिल हैं।

- इस प्रावधान के अनुसार, स्तनपान के फायदे और सर्वोच्चता का उल्लेख इन सामग्रियों में करना जरूरी है।
- स्तनपान के लिए तैयारी और उसे नियमित रूप से जारी रखने, आंशिक रूप से बोतल द्वारा दूध पिलाने से स्तनपान पर होनेवाले नुकसानदेह प्रभाव और कुछ समय के लिए शिशु दुग्ध अनुकल्प का पोषण कराने से शिशु को दोबारा स्तनपान कराने में

होनेवाली कठिनाइयों की जानकारी देना भी जरूरी है।

- शिशु दुग्ध अनुकल्प और शिशु खाद्य के इस्तेमाल से होनेवाले आर्थिक भार और उसके सामाजिक परिणाम की जानकारी, शिशु दुग्ध अनुकल्प और दूध पिलाने की बोतल के गलत ढंग से इस्तेमाल होने पर स्वास्थ्य को होनेवाले खतरों की जानकारी भी इन सामग्रियों के साथ दिया जाना चाहिए।
- इन सभी सामग्रियों के छपने, प्रकाशन की तिथि, मुद्रक तथा प्रकाशक का नाम भी इन सामानों पर होना चाहिए । साथ ही यह भी आवश्यक है कि इन सामग्रियों का इस्तेमाल, शिशु दुग्ध अनुकल्प या दूध पिलाने की बोतल या शिशु खाद्य के इस्तेमाल या बिक्री के प्रचार–प्रसार के लिए बिल्कुल नही किया जाना चाहिए।

⇨ ***माताओं को वितरित की जानेवाली शैक्षणिक और अन्य सामग्रियों में माँ के दूध के गुण और कृत्रिम दूध के उपयोग से होनेवाले नुकसान की जानकारी होनी चाहिए।***

⇨ ***उत्पादों के प्रचार–प्रसार के लिए शैक्षणिक और अन्य सामग्रियों का वितरण वर्जित है।***

धारा 8: स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के दुरूपयोग पर प्रतिबंध

अधिनियम की धारा 8 के अनुसार

कोई भी व्यक्ति किसी भी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का इस्तेमाल शिशु दुग्ध अनुकल्प या दूध पिलाने की बोतल या शिशु खाद्य के इस्तेमाल या बिक्री के प्रचार–प्रसार से संबंधित सामग्रियों के वितरण या सार्वजनिक सूचना या चित्र प्रदर्शन के लिए नहीं कर सकता है। और न ही इन उत्पादों के इस्तेमाल या बिक्री के प्रचार–प्रसार के उद्देश्य से स्वास्थ्य सेवा–प्रणाली में कार्यरत किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का भुगतान किया जा सकता हैं। केवल स्वास्थ्यकर्मी ही शिशु दुग्ध विकल्प या शिशु खाद्य की प्रयोग विधि का प्रदर्शन शिशु की माता या उनके परिवार के किसी भी सदस्य के सामने कर सकते है।

सिर्फ अधिकृत अनाथालय (orphanage) द्वारा अपने यहाँ इस्तेमाल के लिए, शिशु दुग्ध अनुकल्प या दूध पिलाने की बोतल को बिक्री दर से कम कीमत पर खरीदा जा सकता है।

- ⇨ *स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के माध्यम से उत्पादों के प्रचार की सामग्री का वितरण वर्जित है।*
- ⇨ *उत्पादों के इस्तेमाल या प्रचार के लिए स्वास्थ्यकर्मी को आर्थिक फायदा पहुँचाना प्रतिबंधित है।*
- ⇨ *शिशु दुग्ध अनुकल्प या शिशु खाद्य के पोषण का प्रदर्शन सिर्फ स्वास्थ्यकर्मी द्वारा किया जायेगा।*
- ⇨ *जरूरतमंद महिलाओं के बीच उत्पादों का वितरण सिर्फ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करनेवाली संस्था या संगठन द्वारा किया जायेगा।*
- ⇨ *उत्पादों के रियायती खरीद पर प्रतिबंध लगाया गया है।*

धारा 9: स्वास्थ्यकर्मी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रलोभन देने पर प्रतिबंध

अधिनियम की धारा 9 के अनुसार

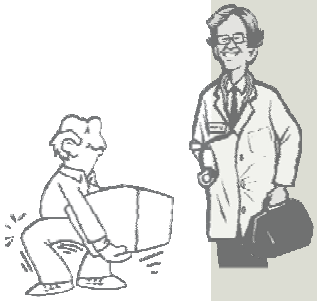

शिशु दुग्ध अनुकल्प या दूध पिलाने की बोतल या शिशु खाद्य को बनानेवाले, आपूर्ति करनेवाले, वितरण करनेवाले या बेचनेवाले व्यक्ति इन उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसी भी स्वास्थ्यकर्मी या उसके परिवार के सदस्य को किसी प्रकार का वित्तीय प्रलोभन (finanacial inducement) या उपहार नहीं दे सकते हैं। इन उत्पादों के प्रचार–प्रसार के लिए, स्वास्थ्यकर्मी एवं उनके परिजन को अप्रत्यक्ष रूप से भी किसी तरह का मौद्रिक फायदा (monetary benefits) या भेंट के रूप में कोई भी सामान नही दिया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी स्वास्थ्यकर्मी या स्वास्थ्यकर्मियों के संगठन (association of health workers) को इन व्यक्तियों द्वारा किसी भी तरह से धन राशि देने या वित्तीय फायदा पहुँचाने या इस तरह का प्रस्ताव देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। स्वास्थ्य कर्मियों के सेमिनार, गोष्ठी (Seminar) सम्मेलन (meeting), पढ़ाई (education), ट्रेनिंग (training), प्रतियोगिता (contest) या शोधकार्य (research work or sponsorship) का वित्तीय खर्च उठाने या उसे प्रायोजित करने या किसी प्रकार का मानदेय देने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

- ⇨ *उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्यकर्मी या उसके परिवार को किसी प्रकार का वित्तीय फायदा या उपहार देने पर रोक है।*
- ⇨ *स्वास्थ्यकर्मी और उनके संगठन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मौद्रिक फायदा देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।*

धारा 10: बिक्री के आधार पर कमीशन देने पर पाबन्दी

अधिनियम की धारा 10 के अनुसार

शिशु दुग्ध अनुकल्प, दूध पिलाने की बोतल या शिशु खाद्य का उत्पादन करनेवाले, (producer) आपूर्ति करनेवाले, (supplier) वितरण करनेवाले (distributes) या बेचनेवाले व्यक्ति (seller), अपने किसी भी कर्मचारी की तनख्वाह या कमीशन उस कर्मचारी द्वारा इन उत्पादों के बिक्री की मात्रा के आधार पर तय नही कर सकते हैं। इनके कर्मचारी गर्भवती महिला या शिशु की माता को गर्भावस्था या शिशु के जन्म के बाद शिशु की देखभाल के लिए शिक्षित करने संबंधी कोई भी कार्य नही कर सकते हैं।

⇨ *उत्पादों की बिक्री के आधार पर कर्मचारी की तनख्वाह या कमीशन तय नही की जा सकती है।*

धारा 11 से 26 में उत्पादों के मानक एवम् अधिनियम का उल्लघंन करने पर सजा के प्रावधानों आदि की जानकारी

अधिनियम की धारा 11 में ऐसे शिशु दुग्ध अनुकल्प, दूध पिलाने की बोतल एवम् शिशु खाद्य को बेचने या वितरित करने पर पाबन्दी है जो भारतीय उत्पादन मानक ब्यूरो (ISI) मे तय मानक के अनुसार ना बने हों।

धारा 12 से 19 में विभिन्न परिस्थितियों में इस अधिनियम के उल्लघंन की स्थिति में उत्पादों को जब्त करने के विषय में प्रावधान किया गया है।

धारा 20 से 24 में अधिनियम की विभिन्न धाराओं का उल्लघंन करने की स्थिति में सजा के परिमाण एवम् अन्य प्रावधान दिये गयें हैं।

धारा 25 एवम् 26 में केन्द्र सरकार को इस अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाने का अधिकार दिया गया है।

उपसंहार

इस पुस्तिका में वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि शिशु दुग्ध अनुकल्प, दूध पिलाने की बोतल एवम् शिशु खाद्य के प्रयोग को किसी भी तरीके से बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। यह भी स्पष्ट है कि उपर्युक्त उत्पादों का प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं को इनके बारे में सही जानकारी इनके डिब्बों पर दी जानी अनिवार्य है। इस जानकारी में ऐसा कोई वर्णन ना हो जो यह दर्शाये कि शिशु खाद्य अनुकल्प या शिशु खाद्य माँ के दूध के बराबर या श्रेष्ठ है।

इस अधिनियम के दायरे में आने वाले उत्पादों के निर्माता आदि द्वारा स्वास्थयकर्मियों या इनके संगठनों को भी किसी भी प्रकार के प्रलोभन या उपहार देना वर्जित है। साथ ही, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को इन उत्पादों के पोस्टर लगाने या इनके प्रयोग का प्रोत्साहन करने के लिये प्रयोग में लाना भी वर्जित है।

आईएमएस एक्ट का उल्लंघन एक आपराधिक कार्य है एवम् दोषी को वित्तिय, जेल या दोनों सजाओं का प्रावधान है।

इस कानून के उल्लंघन की सूचना निम्न संस्थाओं को भेजी जा सकती है जो ऐसे मामलों में कार्यवाही के लिये सरकार द्वारा अधिकृत है।

1 **ब्रेस्टफीडिंग प्रोमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया**
बीपी–33, पीतमपुरा, दिल्ली–110034

2 **एशोशिएशन ऑफ कन्जूयमर एक्शन ऑन सेफटी एंड हेल्थ**
सर्वेन्टस ऑफ इंडिया सोसाइटी बिल्डींग
दूसरा तल, एसवीपी रोड, गिरगोम, मुम्बई–400002

3 **इंडियन काउनसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर**
4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, दिल्ली–110002

4 **सेन्ट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड**
बी–12, कुतब इन्सटीटयूशनल एरीया, नई दिल्ली–110016

bpni

putting child nutrition
at the forefront
of social change

ब्रेस्टफीडिंग प्रोमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया (बी॰पी॰एन॰आई॰)

बी॰पी॰–33, पीतमपुरा, दिल्ली–110034, भारत
फोनः 91–11–27343608, 42683059
फैक्सः 91–11–27343606
ईमेलः bpni@bpni.org
www.bpni.org